न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

अपील सं0 25/2022 रसद

मैसर्स नरेश कुमार मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत फर्राशपुरा तहसील सिकराय जिला दौसा राजस्थान

.....अपीलार्थी

विरूद्ध

जिला रसद अधिकारी दौसा जिला दौसा

....प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 22 राजस्थान खाधान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ का विनिमय आदेश 1976 विरूद्ध निर्णय दिनांक 20.7.2020 द्वारा पारित जिला रसद अधिकारी दौसा अभियोग सं0 40/2020 व 30/2019 बउनवान राज्य सरकार बनाम मैसर्स नरेश कुमार मीना, उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत फर्राशपुरा तहसील सिकराय जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र सं0 117/2007 को निरस्त फरमा दिया साथ ही कुल राशि 2,90,742.9 रूपये वसूली के आदेश पारित किये गये है।

उपस्थित–1. श्री सांवल राम मीना, अधिवक्ता अपीलांट पक्ष

2. श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 22.05.2024

1. अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 20.7.2020 को निरस्त कर दिया। जिला रसद अधिकारी दौसा के इसी प्राधिकार पत्र निरस्ती आदेश से व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। जिला रसद अधिकारी दौसा से मूल अभिलेख मंगवाया गया।

3. अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ग्राम पंचायत फर्राशपुरा तहसील सिकराय का अधिकृत उचित मूल्य दुकानदार है जिसका प्राधिकार पत्र सं0 117/2007 है। प्रार्थी ने बिना किसी शिकायत के वर्ष 2007 से ही इमानदारी से ग्राम पंचायत फर्राशपुरा के उपभोक्ताओं को निष्ठापूर्वक रसद सामग्री का वितरण करता चला आ रहा है। प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा दिनांक 11.4.2020 को अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान ग्राम पंचायत फर्राशपुरा, तहसील सिकराय की जाँच की गई। प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा जाँच रिपोर्ट दिनांक 13.4.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत की गई, जिस पर डीलर के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर इस कार्यालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

के आदेश क्रमांक रसद/अभियोग/ 2020/2848 दिनांक13.4.2020 द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी कर जॉच में पाई गई अनियमिताओं बाबत जवाब चाहा गया। जॉच में निम्नलिखित अनियमिताएँ पाई गई :–

1. दुकान के बाहर मूल्य व स्टॉक सूची का प्रदर्शन नही होना पाया गया एवं अधिकारियों के नम्बर व अन्य आवश्यक सूचनाओं का अंकन नही पाया गया।

2. वक्त जॉच मांगने पर गेहूँ, केरोसीन व चीनी का स्टॉक रजिस्टर प्रस्तुत नही किया गया एवं एनएफएस सूची चस्पा नही थी।

3. .डीलर माह अप्रेल 2020 व मई 2020 के पेटे प्राप्त गेहूँ में से 8242 कि.ग्रा. गेहूँ के स्टॉक को पोस मशीन में ऑनलाईन रिसीव नहीं किया गया।

4.भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ का स्टॉक 6088.6 कि.ग्रा. कम पाया गया।

5.वक्त जॉच 16.5 कि.ग्रा. चीनी, 01 लीटर केरोसीन कम पाया गया। राशन सामग्री का स्टॉक कम पाया जाना कालाबाजारी को इंगित करता है।

उपभोक्ताओं से पूछताछ करने पर बताया कि आपने 23 व 24 मार्च को फर्जी ट्रांजेक्शन कर उनका गेहूँ व केरोसीन निकाल लिया गया तथा उन्हे नही दिया। आपके द्वारा अवेयन्य राशनकार्डो पर भी फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया प्यारे लाल मीना पुत्र श्री सोनपाल मीणा (200000479756), मुनिराम मीना पुत्र पुनीराम (007840200617), हरकेश बैरवा पुत्र बद्रीप्रसाद (007840200898), मुकेश कुमार पुत्र किशन लाल (007840200861), मोतीलाल पुत्र रामधन (007840200603), चेतराम मीना पुत्र हरलाल मीना 007840600197] दिनेश कुमार मीना पुत्र किशन लाल मीना (007840200860), रामचरण पुत्र प्रभूलाल अबयेन्स (007840200612) आदि।

दिनांक 08-04-2020 को जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि आपके द्वारा ग्राम पंचायत कालाखों अम्बाबाडी के उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर भी फर्जी ट्रांजेक्शन किये गये है जैसे रामोतार मीना पुत्र हजारी मीना (200000631497), बहादुर प्रसाद कण्डेरा पुत्र महादेव (200000477600), बत्तीलाल मीना पुत्र रामसहाय मीना (200000469431), मुरारीलाल मीना पुत्र (200000631580), हरजीराम मीना पुत्र (200000631520), (200000303882) आदि। रामसहाय भीना रामसहाय भीना नवलकिशोर पुत्र नारायण महावर

उपभोक्ताओं के अनुसार राशन वितरण नियमित रूप से नहीं करने व अभद्र व्यवहार करना बताया गया।

4- उक्त कारण बताओं नोटिस के उपरांत बिना जवाब का अवसर दिये जिला रसद अधिकारी द्वारा पत्र क्रमांक रसद /अभियोग / 2020/2855 दिनांक 14-04-2020 द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय को निर्देशित किया गया कि संबंधित थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाये। जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा पुलिस थाना सिकराय में एक प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 0131/2020 दिनांकित 16-04-2020 दर्ज करवायी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: Self Attested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5- अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा ना तो कोई नोटिस दिया गया एवं ना ही सुनवाई का मौका दिया और प्रत्यर्थी द्वारा एक आदेश दिनांक **13-04-2020** पारित कर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशो तक निलम्बित कर दिया गया।

6- प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक **13-04-2020** से व्यथित होकर अपीलार्थी ने राजस्थान उच्च न्यायालय में एक एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **5450/2020** प्रस्तुत की। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश दिनांक **28-04-2020** पारित करते हुये प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक **13-04-2020** की क्रियान्विति को स्थगित फरमा दिया गया।

7- माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र अस्थाई रूप से बहाल किया जाकर अपीलार्थी को पूर्व की भांति राशन सामग्री का उठाव कर नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण करने के निर्देश दिये गये। इसके उपरांत भी प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी की माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में याचिका के लम्बित रहते हुये एवं याचिका में स्थगन आदेश पारित करने के उपरांत भी अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग संख्या **40/2020** व **30/2019** गठन कर उक्त अभियोगों में कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक **27-07-2020** पारित कर अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त फरमाते हुये कम स्टॉक / गबन अंकित करते हुये कुल राशि **290742.90** रूपये वसूली के आदेश फरमाये गये।

8- प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग में अपीलार्थी का मनगढंत नोटिस का जवाब दर्ज कर आक्षेपित आदेश दिनांक **27-07-2020** जारी किया गया। जबकि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के द्वारा ना तो कोई नोटिस दिया गया एवं ना ही अपीलार्थी ने कोई नोटिस का जवाब दिया। प्रत्यर्थी के निर्देशानुसार दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट में भी पुलिस द्वारा अन्वेषण कर एफ.आर. नं. **148/2020** दिनांकित **15-06-2020** अदम वकू गलत फहमी में किता कर पेश की गई। जिससे भी स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा मात्र जॉच रिपोर्ट के आधार पर अपीलार्थी का प्राधिकार पत्र निरस्त फरमाया गया।

9- यह कि प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध अभियोग संख्या **30/2019** में दिनांक **20/12/2019** को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका अपीलार्थी के द्वारा दिनांक **14/02/2020** को जवाब प्रस्तुत किया गया।

10. प्रत्यर्थी जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 27.07.2020 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा एक अचमानना याचिका संख्या 975/2020 माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2020 की क्रियान्विति को स्थगित फरमा दिया गया था। उक्त परिस्थिति में प्रत्यर्थी द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश की अवहेलना करते हुए प्रकरण मे कार्यवाही करते हुये निर्णय पारित किया है जो कि विधि की दृष्टि से स्वतः ही पोषणीय नही है। यहाँ यह भी उल्लेख करना समीचीन है कि प्रत्यर्थी द्वारा की गई माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 28.04.2020 की अवहेलना की है जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा एक अवमानना नोटिस दिनांक 10.08.2020 मय आदेश की प्रति प्रत्यर्थी को प्रेषित की गई

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

किन्तु अवमानना नोटिस को दरकिनार करते हुये यह निर्णय पारित किया है। जबकि अवमानना याचिका आज दिनांक तक माननीय न्यायालय में लम्बित है।

11. कोविड 19 महामारी के चलते अपीलार्थी ने याचिका माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय खण्ड पीठ जयपुर के समक्ष प्रस्तुत की थी, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर प्रत्यर्थी द्वारा पारित आदेश दिनांक 13,04,2020 से अपीलार्थी के प्राधिकार पत्र संख्या 117/2007 को निलम्बित कर दिया था। किन्तु उक्त याचिका को अपीलार्थी द्वारा दिनांक **12-09-2022** को आप श्रीमान् के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की छूट के साथ विड्रा कर ली गई। इस प्रकार अपीलार्थी की अपील प्रस्तुति में हुये विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील का निर्णय गुणावगुण पर किया जाना अपीलार्थी के न्यायहित में आवश्यक है।

12- यह कि प्रत्यर्थी द्वारा पारित निर्णय दिनांक **27-07-2020** जिसके द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकानदार की जमाशुदा प्रतिभूमि राशि **1000/-** रू. को जब्त सरकार करते हुये अपीलार्थी को जारी प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया साथ ही अपीलार्थी से कुल राशि **290742-90** रूपये वसूली के आदेश दिये गयें, से व्यथित होकर, माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक **12-09-2022** अंतर्गत याचिका संख्या **5450/2020** की पालना में यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आधारो पर प्रस्तुत की जा रही है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आधार अपील

1- प्रत्यर्थी द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक **27-07-2020** पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों व विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतो के विपरीत होने के कारण अपास्त किये जाने योग्य है।

2- आक्षेपित आदेश एवं निर्णय द्वारा अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है एवं आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलार्थी का स्टॉक में गबन दिखाते हुये राशि **290742-90** रूपये के वसूली आदेश फरमा दिये गये जो कि प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश स्पिकीग आर्डर नही है एवं प्रकरण के समस्त तथ्यों को मध्यनजर रखते हुय गुणावगुण के आधार पर पारित नहीं किया गया है, जिसके कारण आक्षेपित निर्णय दिनांक 27.07.2020 निरस्त किये जाने योग्य है।

3. प्रत्यर्थी द्वारा दर्ज अभियोजन सं 40/2020 में अपीलार्थी को ना तो कोई कारण बताओं नोटिस दिया और ना ही समुचित सुनवाई का कोई मौका दिया। जो कि विधि के सुस्थापित नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त का पालन [illegible]ा ही आक्षेपित आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

4.प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज अभियोग संख्या 30/2019 में दिनांक 20/12/2019 द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस में अनियमितताओं का जवाब अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 14/02/2020 को समुचित रूप से सही तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत

Devendra
जिला कलेक्टर, दौसा

किया गया। परंतु प्रत्यधी ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब पर समग्र गौर एवं विवेचन किये बिना ही आक्षेपित आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

5. अपीलार्थी द्वारा उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र प्राप्त होने के पश्चात वर्ष 2007 से नियमानुसार राज्य सरकार एवं आप श्रीमान् के विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार खाद्य सामग्री व अन्य वस्तुओ का वितरण किया जाता रहा है। पिछले 13 वर्षों से अपीलार्थी के विरूद्ध कभी कोई शिकायत अथवा परिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा नही किया गया है। जिससे यह साबित है कि अपीलार्थी द्वारा लगन एवं ईमानदारी से उचित मूल्य की दुकान का संचालन किया जाता रहा है

6- प्रत्यर्थी द्वारा जारी नोटिस दिनांक **13-04-2020** में उल्लेखित अनियमिताओं बाबत अपीलार्थी को प्रत्यर्थी द्वारा जारी नोटिस एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस दिनांक **15-07-2020** में अंकित किया गया है जो कि प्रत्यर्थी द्वारा मनगढंत बना कर आक्षेपित आदेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है।

Web Copy - Not Official

7- प्रवर्तन अधिकारी एवं प्रत्यर्थी द्वारा की गई समस्त कार्यवाही से स्वतः स्पष्ट है कि उक्त कार्यवाही अपीलार्थी के विरूद्ध द्वेषता पूर्ण की गयी कार्यवाही है, जो कि इस तथ्य से प्रकट है कि दिनांक **11-04-2020** को अपीलार्थी की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण प्रवर्तन अधिकारी द्वारा किया गया एवं दिनांक **13-04-2020** को जॉच रिपोर्ट कार्यालय में प्रस्तुत की गई एवं उक्त दिनांक को ही अपीलार्थी को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। साथ ही उक्त दिनांक **13-04-2020** को ही अपीलार्थी की उचित मूल्य दुकान का प्राधिकार पत्र निलम्बित कर दिया गया। उपरोक्त उल्लेखित तथ्यों से यह भली भांति साबित है कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अनियिमतताएँ नही की गई है। नोटिस बोर्ड के सम्बन्ध में जो अनियमितताएँ पायी गई है वे केवल मौहल्ले के बच्चो द्वारा नोटिस बोर्ड के साथ किये गये छेडछाड के कारण है। जो कि जानबूझकर नही की गई है।

8- प्रत्यर्थी के आदेशानुसार प्रवर्तन अधिकारी ने एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना सिकराय में अपीलार्थी के विरूद्ध दर्ज करवायी गयी, जिसमें भी बाद अनुसंधान पुलिस द्वारा अंतिम प्रतिवेदन अदम वकू गलत फहमी किता में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। जिससे न्यायालय द्वारा स्वीकार फरमा दिया गया। जिससे स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा किसी भी प्रकार का खाद्य सामग्री वितरण में कोई गबन नहीं किया गया है, जबकि प्रत्यर्थी ने उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुये निर्णय दिनांक **27-07-2020** पारित किया है जो कि विधि की दृष्टि में अपास्त किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

9-प्रत्यर्थी ने अभियोगो का विचारण करते समय अपीलार्थी को सूचित कर अपना पक्ष प्रस्तुति हेतु अवसर नहीं दिया गया, जिसका कि अपीलार्थी को विधि के सुस्थापित सिद्धांतो के अनुसार अधिकार प्राप्त था, से वंचित रखते हुये उक्त निर्णय पारित किया गया है जो कि विधि सम्मत नही होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

10-कोविड–19 महामारी के कारण राज्य सरकार द्वारा स्वयं ही बायोमेट्रिक सत्यापन में शिथिलता प्रदान की गयी थी जिसके कारण राशन वितरण का लेखा जोखा बायोमेट्रिक मशीन पर नही किया जा सका था, जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपभोक्ताओ की राशन सामग्री का गबन अंकित करते हुये वसूली आदेश पारित किये गये है। इस प्रकार अपीलार्थी ने कभी भी राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियम) आदेश 1976 के खण्ड 3,6 व 20 तथा खण्ड 3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 2, 5, 8, 11, 17 (क) (ख) (ग) व 18 का उल्लंघन नही किया है।

11- प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही राजनैतिक द्वेषवश व दूषित होने से अपारत्त किये जाने योग्य हैं।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 27- 07-2020 अंतर्गत अभियोग संख्या 40/2020 व 30/2020 (प्रदर्श–5) को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी के उचित मूल्य दुकानदार मैसर्स नरेश कुमार मीना, उचित मूल्य दुकानदार, ग्राम पंचायत फर्राशपुरा, सिकराय, जिला दौसा के प्राधिकार पत्र संख्या 117/2007 को बहाल कर अपीलार्थी को पूर्व की भांति नियमित रूप से राशन सामग्री का उठाव करने एवं नियमानुसार उपभोक्ताओं को वितरण करने का आदेश प्रदान किया जावें।

4. विभागीय पैरोकार सरकार की दलील है कि दिनांक 11.4.2020 को प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा ग्राम पंचायत फर्राशपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेश कुमार मीना की दुकान का निरीक्षण किया गया, जिसमें निम्न अनियमितताएं पाई गई है

1. दुकान पर मूल्य सूची व स्टॉक बोर्ड का प्रदर्शन नहीं था।
2. वक्त जांच मांगने पर गेहूॅं, केरोसीन व चीनी के स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराये गये व एनएफएसए सूची चस्पा नहीं थी।
3. माह अप्रेल 2020 से माह मई 2020 के पेटे प्राप्त गेहूॅं में से 8242 किलोग्राम गेहूॅं के स्टॉक को पोस मशीन में ऑनलाईन रिसीव नहीं किया गया।
4. राशन सामग्री के भौतिक सत्यापन किये जाने पर गेहूॅं का स्टॉक 6088.6 किलोग्राम कम पाया गया। साथ ही 16.5 किलोग्राम चीनी कम पाई गई तथा 01 लीटर केरोसीन कम पाया गया।
5. उपभोक्ताओं से जानकारी करने पर बताया कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 23 व 24 मार्च, 2020 को फर्जी ट्रांजेक्शन कर उनका गेहूॅं व केरोसीन निकाल लिया गया तथा उन्हें नहीं दिया गया। सा[illegible] बेयन्स राशनकार्डों पर भी फर्जी ट्रांजेक्शन किया गया। दुका[illegible]न से जारी होने वाली पर्ची (रसीद) नहीं दी जाती है।
6. दिनांक 8.4.2020 को जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि उचित मूल्य दुकानदार द्वारा ग्राम पंचायत कालाखो अम्बाडी के उपभोक्ताओं के राशन कार्डों पर भी फर्जी ट्रॉजेक्शन करना पाया गया।
7. उपभोक्ताओं के बताये अनुसार राशन सामग्री का वितरण नियमित रूप से नहीं करना व अभद्र व्यवहार करना बताया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13.4.2020 को जिला रसद कार्यालय दौसा में प्रस्तुत किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 13.4.2020 को अनियमितताओ बाबत उचित मूल्य दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 30.4.2020 को उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय को प्रकरण से संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. दर्ज करवाने के निर्देश प्रदान किये गये जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा पुलिस थाना सिकन्दरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0131 दर्ज कराई गई। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में दायर एस. बी.सिविल रिट निटीशन सं. 5450/2020 में पारित निर्णय में दिये गये निर्देशों की पालना में डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 30.4.2020 द्वारा डीलर के विरूद्ध प्रकरण विचाराधीन रखते हुए तत्काल प्रभाव से बहाल किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 15.07. 2020 को रसद कार्यालय में जवाब पेश किया गया। उचित तमल्य दुकानदार द्वारा प्रस्तुत जवाब पर प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय से टिप्पणी ली गई। प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय से प्राप्त टिप्पणी के अनुसार दिनांक 11.4.2020 को वक्त जांच उचित मूल्य दुकानदार की राशन की दुकान में भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ का स्टॉक 6088.6 किलोग्राम कम पाया गया था जिसे भी डीलर के द्वारा स्टॉक कम होना स्वीकार किया था। प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा अवगत कराया गया कि थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति के अनुसार जांच करने पर 666 लीटर केरोसीन स्टॉक कम होना पाया गया जो कि कालाबाजारी को इंगित करता है। इस प्रकार उचित मूल्य दुकान के भौतिक सत्यापन के दौरान दुकान में कम पाये गये 6088.6 किलोग्राम गेहूँ, 16.5 किलोग्राम चीनी व 666 लीटर केरोसीन के स्टॉक को खुर्द बुर्द कर कालाबाजारी किया जाना प्रमाणित होता है। इसके अलावा जाच एवं कारण बताओ नोटिस में वर्णित राशन कार्डो पर फर्जी ट्रांजेक्शन करके 355 किलोग्राम गेहूँ एवं 17 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी प्रमाणित है। साथ ही उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण सं0 30/2019 पूर्व से ही जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय में दर्ज है। पूर्व में प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को उचित मूल्य दुकान श्री राजेन्द्र शर्मा अटैच नरेश कुमार मीना की जांच रिपोर्ट रसद कार्यालय में 06.12. 2019 को प्रस्तुत की गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार निलम्बन के कारण ग्राम पंचायत फर्राशपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की उचित मूल्य दुकान 13.02. 2019 से 03.10.2019 तक श्री नरेश मीना की दुकान के साथ अस्थाई अटैच रही। दिनांक 03.10.2019 को श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को प्राधिकार पत्र बहाल को जाने के उपरान्त श्री नरेश कुमार द्वारा स्टॉक का स्थानान्तरण नहीं किये जाने पर प्राप्त शिकायत की जांच की गई। डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण 30/2019 दर्ज कर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पत्रांक रसद/अभियोग/2019/2152/ दिनांक 20.12.2019 द्वारा करण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार डीलर श्री नरेश द्वारा अटैच दुकान का अवशेष स्टॉक में से 55.32 क्वि0 गेंहूँ तथा 1.38 क्वि0 चीनी की मात्रा मूल डीलर श्री राजेन्द्र शर्मा को सुपुर्द नहीं की गई। श्री नरेश कुमार मीना द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब रसद कार्यालय में दिनांक 14.0[illegible]2020 को प्रस्तुत किया। जवाब में उसके द्वारा उल्लेख किया कि माह [illegible] 2019 में पोस मशीन में तकनीकी खराबी के कारण उसके द्वारा 55.32 क्वि.0 गेहूँ तथा 1.38 क्वि0 चीनी का वितरण ऑफलाईन कर दिया गया। डीलर का यह कथन पूर्णतया गलत, झूठा व अतार्किक है, क्योंकि खाद्य विभाग के आदेशानुसार दिनांक 01 सितम्बर 2016 से गेहूँ का सम्पूर्ण वितरण केवल पोस मशीन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से किया जा रहा है। इसी प्रकार 01 अक्टूबर 2016 से चीनी व केरोसीन का सम्पूर्ण वितरण केवल पोस मशीन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

से किया जा रहा है। ऑफलाईन का सम्पूर्ण वितरण केवल पोस मशीन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से किया जा रहा है। ऑफलाईन वितरण का कोई विकल्प नहीं है। किसी भी पोस मशीन में खराबी को ठीक करने के लिये कार्मिक नियुक्त है। अतः ऑफलाईन वितरण का कथन पूर्णतया गलत व नियम विरूद्ध है। डीलर द्वारा उक्त मात्रा 55.32 क्वि0 गेहूँ व 1.38 क्वि0 चीनी की मात्रा का दुरूपयोग कर कालाबाजारी की जाना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेश कुमार मीना के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विभागीय प्रकरण संख्या 40/2020 की जांच में डीलर द्वारा 6088.6 किलोग्राम गेहूँ 16.5 किलोग्राम चीनी व 666 लीटर केरोसीन की स्टॉक मे कम पाई गई मात्रा का डीलर द्वारा गबन किया जाना प्रमाणित होता है। इसी प्रकार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर ऑफलाईन दस्तावेजो मे कूटरचना करके फर्जी ट्रांजेक्शन करके 355 किलोग्राम गेहू तथा 17 लीटर केरोसीन का गबन किया गया है। डीलर द्वारा कोविड–19 के मध्यनजर सरकार द्वारा बायोमेट्रिक सत्यापन मे दी गई शिथिलता का दुरूपयोग करके उपभोक्ताओ को महामारी के समय देय निःशुल्क खाद्य सामग्री से वंचित रखा गया है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 30/2019 मे डीलर श्री नरेश कुमार मीना द्वारा 55.32 क्वि0 गेहूँ तथा 1.38 क्वि0 चीनी का गबन किया जाना प्रमाणित होता हैं। इस प्रकार डीलर द्वारा कुमल 11975.6 किलोग्राम गेहूँ 154.5 किलोग्राम चीनी तथा 683 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी कर गबन कराना पाया गया है। इसके लिए डीलर दोषी है। इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 ,6 व 20 का तथा खण्ड–3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्ते संख्या 2, 5, 8, 11 (क) (ख) (ग) व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने उचित मूल्श्य दुकानदार श्री नरेश कुमार मीना द्वारा जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है तथा डीलर द्वारा गबन किये गये गेहूँ 11975.6 किलोग्राम के भारतीय खाद्य निगम की खुली निर्गम दर 22.5 रूपये प्रति किलोग्राम से 269451 रू0, 154.5 किलोग्राम चीनी की अंतर राशि 2241.1 रू0 की राशि (प्रचलित खुदरा दर रू. 40 प्रति किलोग्राम में से 24.20 रू. कम करके 15.8 रू. प्रति किलोग्राम की दर से) तथा 683 लीटर केरोसीन की अंतर राशि 18850.8 रू. (फ्री सेल केरोसीन की दर 55 रू. प्रति लीटर में से 27.40 रू. कम कर 27.60 रू0 प्रति लीटर की दर से) कुल राशि 290742.9 रूपये अपीलांट से वसूली के आदेश पारित किये गये है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित निर्णय पूर्ण एवं विधिवत् रूप से पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावे।

5.हमने अधिवक्ता अपीलांट व विभागीय पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय द्वारा अपीलांट की उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 13.4.2020 को जिला रसद का[illegible] किया गया। जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 13.4.2020 को अनियमितताओं [illegible] दुकानदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर [illegible] उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। जि[illegible] दौसा द्वारा प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय को प्रकरण से संबंधित पुलिस थाने में एफ.आई.आर. [illegible]र्ज करवाने के निर्देश प्रदान किये गये जिस पर प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा पुलिस थाना सिकन्दरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट सं0 0131 दर्ज कराई गई। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में दायर एस.बी.सिविल रिट निटीशन सं. 5450/2020 में पारित निर्णय में दिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

गये निर्देशों की पालना में जिला रसद अधिकारी दौसा ने डीलर का प्राधिकार पत्र दिनांक 30.4.2020 को प्रकरण विचाराधीन रखते हुए तत्काल प्रभाव से बहाल किया गया। उचित मूल्य दुकानदार द्वारा दिनांक 15.07.2020 को रसद कार्यालय में जवाब पेश किया गया। उचित मूल्य दुकानदार की राशन की दुकान में भौतिक सत्यापन करने पर गेहूँ का स्टॉक 6088.6 किलोग्राम कम पाया गया था। इसके अतिरिक्त प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा अवगत कराया गया कि थोक विक्रेता द्वारा आपूर्ति के अनुसार जांच करने पर 666 लीटर केरोसीन स्टॉक कम होना पाया गया जो कि कालाबाजारी कर धोतक है। उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण सं0 30/2019 पूर्व से ही जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय में दर्ज है जिसमें प्रवर्तन निरीक्षक सिकराय के द्वारा दिनांक 20.11.2020 को उचित मूल्य दुकान श्री राजेन्द्र शर्मा अटैच नरेश कुमार मीना की जांच रिपोर्ट रसद कार्यालय में 06.12.2019 को प्रस्तुत की गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार निलम्बन के कारण ग्राम पंचायत फर्राशपुरा के उचित मूल्य दुकानदार श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा की उचित मूल्य दुकान 13.02.2019 से 03.10.2019 तक श्री नरेश मीना की दुकान के साथ अस्थाई अटैच रही। दिनांक 03.10.2019 को श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा को प्राधिकार पत्र बहाल को जाने के उपरान्त श्री नरेश कुमार द्वारा स्टॉक का स्थानान्तरण नहीं किये जाने पर डीलर के विरूद्ध विभागीय प्रकरण 30/2019 दर्ज कर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पत्रांक रसद/अभियोग/2019/2152/दिनांक 20.12.2019 द्वारा करण बताओ नोटिस जारी किया गया। जांच रिपोर्ट के अनुसार डीलर श्री नरेश द्वारा अटैच दुकान का अवशेष स्टॉक में से 55.32 क्वि0 गेहूँ तथा 1.38 क्वि0 चीनी की मात्रा मूल डीलर श्री राजेन्द्र शर्मा को सुपुर्द नहीं की गई। श्री नरेश कुमार मीना द्वारा उक्त कारण बताओं नोटिस का जवाब रसद कार्यालय में दिनांक 14.02.2020 को प्रस्तुत किया। जवाब में उसके द्वारा उल्लेख किया कि माह फरवरी 2019 में पोस मशीन में तकनीकी खराबी के कारण उसके द्वारा 55.32 क्वि.0 गेहूँ तथा 1.38 क्वि0 चीनी का वितरण ऑफलाईन कर दिया गया। डीलर का यह कथन पूर्णतया गलत, झूठा व अतार्किक है, क्योंकि खाद्य विभाग के आदेशानुसार दिनांक 01 सितम्बर 2016 से गेहूँ का सम्पूर्ण वितरण केवल पोस मशीन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से किया जा रहा है। इसी प्रकार 01 अक्टूबर 2016 से चीनी व केरोसीन का सम्पूर्ण वितरण केवल पोस मशीन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से किया जा रहा है। ऑफलाईन का सम्पूर्ण वितरण केवल पोस मशीन के माध्यम से ऑनलाईन पद्धति से किया जा रहा है। ऑफलाईन वितरण का कोई विकल्प नहीं है। किसी भी पोस मशीन में खराबी को ठीक करने के लिये कार्मिक नियुक्त है। डीलर द्वारा उक्त मात्रा 55.32 क्वि0 गेहूँ व 1.38 क्वि0 चीनी की मात्रा का दुरूपयोग कर कालाबाजारी की जाना प्रमाणित पाया गया। इस प्रकार उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेश कुमार मीना के जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर विभागीय प्रकरण संख्या 40/2020 की जांच में डीलर द्वारा 6088.6 किलोग्राम गेहूँ 16.5 किलोग्राम चीनी व 666 लीटर केरोसीन की स्टॉक मे कम पाई गई मात्रा का डीलर द्वारा गबन किया जाना सिद्ध होता है। प्रमाणित होता है। इसी प्रकार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं के राशनकार्डो पर ऑफलाईन दस्तावेजो मे कूटरचना करके फर्जी ट्रांजेक्शन करके 355 किलोग्राम गेहू तथा 17 लीटर केरोसीन [illegible] किया गया है। डीलर द्वारा कोविड–19 के मध्यनजर सरकार द्वारा बायोमैट्रिक सत्यापन में दी गई शिथिलता का दुरूपयोग करके उपभोक्ताओ को महामारी के समय दिए निःशुल्क खाद्य सामग्री से वंचित रखा गया है। इसी प्रकार प्रकरण संख्या 30/2019 में डीलर श्री नरेश कुमार मीना द्वारा 55.32 क्वि0 गेहूँ तथा 1.38 क्वि0 चीनी का गबन किया जाना प्रमाणित होता हैं। इस प्रकार डीलर द्वारा कुमल 11975.6 किलोग्राम गेहूँ 154.5 किलोग्राम चीनी तथा 683 लीटर केरोसीन की कालाबाजारी कर गबन कराना पाया गया है। इसके लिए डीलर दोषी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Devendra

जिला कलेक्टर, दौसा

इस प्रकार डीलर द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के खण्ड 3 ,6 व 20 का तथा खण्ड–3 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्ते संख्या 2, 5, 8, 11 (क) (ख) (ग) व 18 का स्पष्ट उल्लंघन किया है। जिस पर जिला रसद अधिकारी दौसा ने उचित मूल्य दुकानदार श्री नरेश कुमार मीना द्वारा जमाशुदा संपूर्ण प्रतिभूति राशि 1000/–रू0 जब्त सरकार करते हुए डीलर को जारी प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है तथा डीलर द्वारा गबन किये गये गेहूँ 11975.6 किलोग्राम के भारतीय खाद्य निगम की खुली निर्गम दर 22.5 रूपये प्रति किलोग्राम से 269451 रू0, 154.5 किलोग्राम चीनी की अंतर राशि 2241.1 रू0 की राशि (प्रचलित खुदरा दर रू. 40 प्रति किलोग्राम में से 24.20 रू. कम करके 15.8 रू. प्रति किलोग्राम की दर से) तथा 683 लीटर केरोसीन की अंतर राशि 18850.8 रू. (फ्री सेल केरोसीन की दर 55 रू. प्रति लीटर में से 27.40 रू. कम कर 27.60 रू0 प्रति लीटर की दर से) कुल राशि 290742.9 रूपये अपीलांट से वसूली के आदेश पारित किये गये है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. अपीलांट की अपील का मुख्य बिन्दु कि अपीलांट को जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया और ना ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया एवं अपीलांट का प्राधिकार पत्र दिनांक 13.4.2020 पारित कर प्राधिकार पत्र निलंबित कर दिया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा 13.4.2020 को अपीलांट को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाकर दिनांक 30.4.2020 को रसद कार्यालय में उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु लिखा गया है। इस संबंध में जिला रसद कार्यालय की मूल पत्रावली के पैरा सं0 6 का अवलोकन महत्वपूर्ण है जिसके द्वारा अपीलांट स्वयं जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय में दिनांक 30.4.2020 को उपस्थित रहा है जिसके हस्ताक्षर जिला रसद कार्यालय की आदेशिका दिनांक 30.4.2020 पर अंकित है।

7. जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा विस्तृत आदेश दिनांक 20.7.2020 को पारित किया गया है जिसमें अपीलांट द्वारा की गई गंभीर अनियमितताओं बाबत विस्तृत रूप से विवेचन किया गया है। उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध विचाराधीन प्रकरण सं0 30/2019 पूर्व से ही जिला रसद अधिकारी दौसा के कार्यालय में दर्ज होना ज्ञात होता है।

8. जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश पूर्णतया विधिसम्मत है जिसमें हम कोई हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। हम अपील अपीलांट खारिज योग्य समझते है।

9. . उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.7.2020 यथावत बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ जिला रसद अधिकारी दौसा का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर मियाद से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 20 मई, 2024 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में 30 दिवस के भीतर की जा सकेगी।

Devendra
(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:34:31 IST
Reason: SelfAttested